न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 101/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/163

अपीलाण्ट्स :–

1. श्री गोपाल पुत्र पुनाराम जाति माली निवासी मालियों का बेरा चादरवाले बालाजी पाली
2. भगवती पति गोपाल जाति माली निवासी मालियों का बेरा चादरवाले बालाजी पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. भंवरलाल पुत्र रामलाल
2. श्रीमती भलकी पत्नी भंवरलाल
3. पीराराम पुत्र भंवरलाल
   जातिगण माली, निवासी मालीयों का बेरा, चादरवाले बालाजी के सामने, रामदेव रोड़ पाली (राज.)
4. गणपतलाल पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी पाली हाल निवासी विरमबाड़ी न्यू बस स्टेण्ड पीपाड़ शहर जोधपुर
5. पुनाराम पुत्र भंवरलाल कौम माली निवासी मां कृपा किराणा स्टोर अम्बेडकर नगर पाली (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार
रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से श्याम सुन्दर पंचारिया

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.01.2026

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 12/2024 बअनवान भंवरलाल वगैरह बनाम गोपाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपील–अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार एवं रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पो. को न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद वक्त बहस अनुपस्थित। वक्त उभयपक्ष की सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने अपने अपील–मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 के कुल तीन पुत्र है प्रत्यर्थी संख्या 03 लगायत प्रत्यर्थी संख्या 05 हे। जिनसे प्रत्यर्थीगण खर्चा भरण पोषण का वसूल कर सकते है या इनके विरूद्ध भरण पोषण की कार्रवाई चल सकती है। अपीलाण्ट प्रत्यर्थीगण का पौत्र व पौत्रवधु है एवं रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पुत्र के जीवित रहते हुए पौत्र का भरण पोषण का दायित्व नहीं बनता जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर विवादित आदेश प्रथम–दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है। रेस्पो. संख्या 01 व 02 के तीनों पुत्र सम्पूर्ण साधन सम्पन्न है व प्रतिमाह अच्छी कमाई करते है

व रेस्पो. संख्या 01 खुद स्वयं लगभग 40 हजार रूपये कमाता है व ब्याज का धंधा करता है जिससे उसे न तो भरण पोषण की आवश्यकता है न ही मकान की जरूरत है, फिर भी अन्य पुत्रों के बहकावे में आकर व केवल परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर विवादित आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। इसके अतिरिक्त हम स्वयं उक्त जैर विवादित मकान में रहकर अपने दादा–दादी की सेवा सुश्रुषा करने को सदैव तत्पर है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर विवादित आदेश खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार विधिक भूल नहीं की है। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 का पौत्र गोपाल जो जोधपुर में अच्छी नौकरी करता है जिसके स्वयं के व्यापार है। जिसकी मासिक आय 35–40 हजार रूपयें है तथा जोधपुर में पृथक से निवास करता है। अपीलाण्ट हमेशा उनके ही पास रहकर पौत्र व पौत्रवधु आये दिन परेशान व गाली गलोच करती है, जिससे आये दिन घर में अशान्ति फैली रहती है एवं रेस्पो. संख्या 01 व 02 जो कि अपीलाण्ट के दादा है का खुद के ही मकान में रहना दुभर हो गया। जिससे पूर्णतया स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर आदेश पारित करते समय कोई विधिक भूल नहीं की है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर विवादित आदेश दिनांक 30.01.2025 को पारित किया गया एवं जैर अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 08.09.2025 को प्रस्तुत की गई है जो कि स्पष्टतया मियाद बाहर होने से भी काबिले खारिज है। अतः जैर अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

श्रवणशुदा बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रकरण में अपीलाण्ट के मुख्य उज्र यह है कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गय इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह रहा कि अपीलाण्ट, रेस्पो. संख्या 01 व 02 का पौत्र है एवं वर्तमान में रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पुत्र एवं पुत्री जीवित है तो उनके भरण पोषण का अधिकार अपीलाण्ट का नहीं बनता। साथ ही अपीलाण्ट का एक अन्य उज्र यह रहा है कि रेस्पो. संख्या 01 खुद सभी सुख सुविधाओं से सम्पन्न है एवं उसकी अतिरिक्त मासिक आय लगभग 40 हजार रूपये है जिससे भी रेस्पो. संख्या 01 व 02 को अपीलाण्ट्स से भरण–पोषण की आवश्यकता नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पौत्र है, को रेस्पो. संख्या 01 व 02 के भरण–पोषण हेतु प्रतिमाह 2000 रूपये अदा करने हेतु आदेशित किया गया है, जिससे रूष्ट होकर जैर अपील प्रस्तुत की गई है।

जैर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पो. संख्या 01 के अतिरिक्त आय के समुचित साधन हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2025 को पारित किया है एवं अपीलाण्ट्स दिनांक 27.01.2025 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गये थे जिससे यह साबित नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। अपीलाण्ट का यह कथन कि जब तक रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पुत्र जीवित है तो उनके भरण–पोषण की राशि केवल उसके पुत्र पर ही निर्धारित की जानी चाहिए थी। माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का

जिला कलक्टर, पाली

भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार किसी भी माता–पिता के भरण –पोषण का परम कर्त्तव्य उसकी **संतान** का होता है एवं उक्त अधिनियम में **'संतान'** की परिभाषा के अन्तर्गत उसके व्यस्क **पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री** सम्मिलित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय ने जैर अपीलाधीन आदेश पौत्र एवं पुत्र के विरूद्ध पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं पाते। इसके अतिरिक्त रेस्पो. संख्या 01 व 02 जो कि अपीलाण्ट के वृद्ध दादा व दादी है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए, वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये और जो दस हजार रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दो पुत्र रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 04 एवं पौत्र अपीलाण्ट संख्या 01 पर उसके वृद्ध माता–पिता अथवा दादा–दादी के भरण–पोषण हेतु अधिकतम दो–दो हजार रूपये की राशि प्रतिमाह अदा करने का जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि विधिनुसार ही निर्धारण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

लिहाजा उक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 को यथावत रखा जाकर अपीलाण्ट्स को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के भरण–पोषण हेतु निर्धारित राशि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2025 से 2000 रूपये प्रतिमाह करते है जो रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के खाते में अदा करेंगे एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक से एक माह की अवधि में मय एरियर रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के खाते में जमा करवायेंगे तथा जमा रसीद अपने पास बतौर सबूत रखे। अपीलाण्ट उक्त राशि सही समय पर रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के बैंक खाता मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं करते तथा अपीलाण्ट रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की सेवा एवं सम्मान करे तथा आपसी सौहार्द्र बनाये रखे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर अपीलाण्ट के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे एवं निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली